रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052022-235541 CG-DL-E-04052022-235541

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1973] No. 1973] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 मई. 2022

का.आ. 2073(अ).—केन्द्रीय सरकार, सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 12(1) एवं 12(3) और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 35(1) एवं 35(3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में एतद्वारा अधिसूचित करती है कि सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त प्राधिकरण में संबंधित संघ क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं: -

- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के पद का या उससे ऊपर का अधिकारी-अध्यक्ष के रूप में. पदेन:
- (ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक के पद का या उससे ऊपर का अधिकारी-उपाध्यक्ष के रूप में. पदेन: और
- (iii) संघ राज्य क्षेत्र के विधि विभाग का एक अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो-सदस्य के रूप में, पदेन।

[फा. सं. यू.11019/09/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

3047 GI/2022 (1)

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Department of Health Research)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2022

- **S.O. 2073(E).**—In exercise of the power conferred by Sections 12(1) & 12(3) of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and Sections 35(1) & 35(3) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby notifies that the Appropriate Authority in respect of each UT for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 consists of the following functionaries of respective UT:-
  - (i) an officer of or above the rank of the Joint Secretary of the Health and Family Welfare Department as Chairperson, ex officio;
  - (ii) an officer of or above the rank of the Joint Director of the Health and Family Welfare Department as Vice Chairperson, ex officio; and
  - (iii) an officer of Law Department of the Union territory concerned not below the rank of a Deputy Secretary as member, ex-officio.

[F. No. U.11019/09/2022-HR] GEETA NARAYAN, Jt. Secy.